बिहार संग्रहालय समिति, पटना

(कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2024

ज्ञाप संख्याः बि० सं०/कार्या–28/2015 (Part- I) ....15..../ दिनांक 16.01.2024 को मध्याह्न 12.00 बजे आहूत 'बिहार संग्रहालय समिति' के कार्यकारिणी समिति के कंडिका– 15 में अभिविन्यास सभागार, बहुद्देशीय सभागार, खुला मंच एवं बाल दीर्घा में अवस्थित कक्षा (कक्ष) को आरक्षित कराने हेतु निम्न दर अनुमोदित किया गया है :–

क्र.सं.	स्थल	किराया/जमानत की राशि
1.	अभिविन्यास सभागार	₹ 50,000/– (पचास हजार रुपये) मात्र प्रतिदिन
2.	बहुद्देशीय सभागार	₹ 50,000/– (पचास हजार रुपये) मात्र प्रतिदिन
3.	खुला मंच	₹ 50,000/– (पचास हजार रुपये) मात्र प्रतिदिन
4.	बाल दीर्घा में अवस्थित कक्षा (कक्ष)	₹ 20,000/– (बीस हजार रुपये) मात्र प्रतिदिन

1. उपरोक्त निर्धारित दर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
2. उपरोक्त स्थलों का उपयोग सभी सरकारी विभाग/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था/निजी शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर कार्यक्रम की विषय–वस्तु तथा संग्रहालय के विचार–धारा के आधार पर होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत किया जा सकता है।
3. उपरोक्त स्थलों के उपयोग में टूट–फूट होने पर इसकी भरपाई संबंधित आयोजक/आवंटी द्वारा की जायेगी।
4. किसी भी प्रकार के वाह्य Sound System, प्रोजेक्टर अथवा अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकेगा।
5. आरक्षण/बुकिंग हेतु अपर निदेशक (विपणन एवं आगंतुक सेवाएं), बिहार संग्रहालय, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
6. आयोजकों के द्वारा आरक्षण रद्द किए जाने की स्थिति में निम्नरूपेण कटौती की जायेगी :–
   I. आयोजनकर्त्ता द्वारा आयोजन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
   II. आयोजन की तिथि से दो दिन पूर्व और एक सप्ताह के अंदर आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
   III. आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
   IV. आयोजन के दिन आरक्षण रद्द करने की सूचना देने या नहीं देने पर आरक्षण शुल्क की कोई राशि वापस नहीं की जायेगी।

7. संस्था को अपना कार्यक्रम आरक्षित सभागार तक ही सीमित रखना होगा। बिहार संग्रहालय प्रांगण अंतर्गत किसी अन्य स्थान का प्रयोग करना वर्जित रहेगा।
8. सभागार में या परिसर में चाय, नाश्ता, खाना, मद्यपान, किसी किस्म का नशा, गुटका, तम्बाकू या धूम्रपान करना वर्जित है। चाय–नाश्ते के लिए कैण्टीन की सुविधा सशुल्क उपलब्ध है। उसी का प्रयोग किया जाएगा।
9. अभिविन्यास सभागार में 170, खुला मंच में 400 व बहुद्देशीय सभागार में 150 आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था है। तदनुसार ही श्रोताओं/दर्शकों को प्रवेश दिया जा सकेगा। नियत समय से पूर्व दर्शकों को लाईन लगवाना, उनका सभागार में प्रवेश, सभागार पूर्ण भर जाने पर हाउसफूल का बोर्ड लगाकर प्रवेश निषेध करना, परिसर में उपस्थित दर्शकों को मार्गदर्शन सभागार के अन्दर तथा बाहर शांति–व्यवस्था बनाये रखना संस्था की जवाबदेही होगी।
10. सभागार एवं प्रेक्षागृहों में उपलब्ध प्रकाश उपकरणों, ध्वनि उपकरणों, सेट प्लेटफार्मों व अन्य सामग्रियों का उपयोग प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूची के अनुसार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि संस्था को किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, संस्था, सामग्री बिहार संग्रहालय के गेट नम्बर– 05 से अपर निदेशक (प्रशासन)/नामित पदाधिकारी के अनुमति के उपरांत ला सकेंगे। साथ ही, उक्त सामग्रियों को वापस ले जाने हेतु बिहार संग्रहालय द्वारा निर्धारित गेट पास के माध्यम से अपर निदेशक (प्रशासन)/नामित पदाधिकारी के हस्ताक्षरोपरांत सुरक्षा कर्मी से मिलान के उपरांत बाहर ले जा सकते हैं।
11. प्रकाश एव ध्वनि उपकरणों का संचालन बिहार संग्रहालय के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में बिहार संग्रहालय के तकनीकी कर्मचारियों की सहमति और मार्गदर्शन में बाहरी संस्थाओं के ध्वनि–प्रकाश विशेषज्ञ उसका संचालन उनके सहयोग से कर सकेंगे। प्रकाश एवं ध्वनि उपकरणों के उपयोग करने से पूर्व उक्त पर नियमानुसार अपर निदेशक (विपणन), बिहार संग्रहालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
12. अपरिहार्य कारणों से बिहार संग्रहालय बन्द होने या आकस्मिक अवकाश की दशा में बुकिंग स्थगित कर दी जाएगी।
13. किसी भी प्रेक्षागृह का आरक्षण निरस्त करने का अधिकार बिहार संग्रहालय के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी तरह के विवाद में बिहार संग्रहालय का निर्णय अंतिम होगा।
14. किसी भी संस्था को एक आयोजन के लिए अधिकतम लगातार 4 दिनों के लिए सभागार आरक्षित की जायेगी।
15. सभागार में किसी भी तरह का आग्नेय या विस्फोटक पदार्थ प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। यह संस्था की जवाबदेही होगी कि वह इस नियम का पालन करायें।
16. आरक्षण प्राप्त करने वाली संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यक्रम के दौरान बिहार संग्रहालय के कर्मचारियों/अधिकारियों से मृदु एव सहयोग का व्यवहार बनाये रखेंगे।
17. उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की दशा में आरक्षण निरस्त कर दिया जाएगा तथा आवेदक/संस्था द्वारा जमा प्रतिपूर्ति राशि जब्त कर ली जाएगी। भविष्य में ऐसी संस्था के आरक्षण संबंधी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

19.उपरोक्त प्रस्ताव पर महानिदेशक, बिहार संग्रहालय का अनुमोदन प्राप्त है।

Ranbeer Singh
17/02/24

(रणवीर सिंह राजपूत)
प्रभारी, अपर निदेशक, (प्रशासन)
बिहार संग्रहालय, पटना

ज्ञापांक : म.नि./196 पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि : सुरक्षा प्रभारी M3S को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ranbeer Singh
17/02/24

प्रभारी, अपर निदेशक, (प्रशासन)
बिहार संग्रहालय, पटना

ज्ञापांक : म.नि./196 पटना, दिनांक 18 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि : बिहार संग्रहालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ समर्पित।

Ranbeer Singh
17/02/24

प्रभारी, अपर निदेशक, (प्रशासन)
बिहार संग्रहालय, पटना